श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली (पंजीकृत)

भूपेन्द्र भवन, कृष्णा मार्किट, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055

Phone: 9820694600, 7977193471 **E-mail:** sdprsabha@gmail.com

उद्देश्य, नियम तथा उपनियम

1. नाम

इस सभा का नाम श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली होगा।

2. अभिलक्षण/अर्थ निर्धारण

संविधान में स्थान–स्थान पर सुविधा के लिए शब्द समूहों एवं वाक्यांशों के स्थान पर जिन विभिन्न शब्दों का पुनः–पुनः प्रयोग हुआ है उनके अर्थ परिधि / अभिलक्षण इस प्रकार हैं :–

2.1 प्रतिनिधि सभा का अर्थ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली होगा।

2.2 सभा / सभाओं का अर्थ प्रसंगानुसार स्थानीय या जिला सभा / सभाएं होगा।

2.3 सनातन धर्म का अर्थ श्रुति, स्मृति, पुराण, धर्म स्थान, दर्शनशास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता आदि द्वारा प्रतिपादित धर्म है।

नोट – आदि शब्द की व्याख्या विदत्परिषद् **करेगी**।

2.4 समिति का अर्थ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली की अन्तरंग समिति **(Executive committee)** होगा।

2.5 कार्यकारिणी का अर्थ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली की कार्यकारिणी परिषद् **(Working committee)** होगा।

2.6 **साधारण अधिवेशन का अर्थ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली की आम बैठक (General House Meeting) होगा।**

2.7 शिक्षा समिति से अभिप्राय श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली से सम्बन्धित श्री सनातन धर्म शिक्षा समिति (**पंजीकृत**) होगा।

2.8 महावीर दल से अभिप्राय श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली से सम्बन्धित श्री सनातन धर्म महावीर दल पंजाब (पंजीकृत) होगा।

3. उद्देश्य

3.1 भारतीय **सनातन** सांस्कृतिक सिद्धान्तों जैसे कर्म, उपासना और ज्ञान का प्रतिपादन एवं प्रचार करना।

3.2 इसके अन्तर्गत आध्यात्मिक विद्या और भारतीय संस्कृति तथा उसके सिद्धान्तों द्वारा भिन्न–भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायियो में परस्पर प्रीति और मेल बढ़ाना।

3.3 प्राचीन भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों और उनकी अनुयायी जनता के हितों की रक्षा करना।

3.4 विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं और धर्मशालाओं आदि स्थानों का प्रबन्ध तथा रक्षा करना।

3.5 जाति, नस्ल और रंग के भेद–भाव के बिना जन–सेवा के भिन्न–भिन्न स्थानों पर काम के लिये श्री सनातन धर्म महावीर दलों की **स्थापना करना।**

3.6 बालक–बालिकाओं के बहुमुखी विकास हेतु स्कूल, पाठशाला, कालेज एवम् ऋषिकुल आश्रम स्थापित करना तथा उनके संचालन का प्रबन्ध **श्री सनातन धर्म शिक्षा समिति (पंजीकृत) के माध्यम से** करना।

3.7 गोरक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध करना, गौशालाएं स्थापित करना तथा गौशालाओं के लिए गोचर भूमि प्राप्त करना।

3.8 प्राणिमात्र की सेवा के लिये औषधालयों को आरम्भ करना तथा औषधि निर्माण के लिये फार्मेसियां खोलना।

3.9 देश और समाज के नवयुवकों की शारीरिक तथा मानसिक उन्नति के लिये सरकार की नीति के अनुसार व्यायामशालायें, **पुस्तकालय** आदि खोलना तथा उनका संचालन करना।

3.10 सभा की आर्थिक अवस्था को संपन्न बनाने के लिये चल और अचल सम्पत्ति की वृद्धि के लिये यत्न करना।

3.11 संस्कृत **एवं हिन्दी** भाषा के प्रसार में वृद्धि करना।

3.12 कर्मकाण्ड आदि के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था **करना।**

3.13 वृद्ध आश्रम, महिला आश्रम, अनाथालय, अंधविद्यालय आदि जैसी समाज सेवी संस्थाओं की व्यवस्था।

3.14 भूकम्प, महामारी तथा बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय सहायता शिविर चलाना।

3.15 सभा की अचल संपत्ति के आय–व्यय, रख –रखाव अथवा अदला–बदली का प्रबन्ध करना।

4 कार्य–क्षेत्र

प्रतिनिधि सभा का कार्यक्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, **चण्डीगढ़** हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान तथा जम्मू काश्मीर तक विस्तृत होगा। किन्तु आवश्यकता समझने पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तथा अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रतिनिधि सभा भारत के अन्य प्रांत/प्रांतों / किसी प्रांत के विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर सकती हैं। अन्य प्रांतों की स्थानीय सनातन धर्म सभाओं

प्रधान महोदय तथा मुख्य प्रधान अपने इन विशेष अधिकारों का प्रयोग करते समय न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही सभा के किसी सभासद अथवा पदाधिकारी और अंतरंग समिति, कार्यकारिणी अथवा उससे संबंधित किसी संस्था को अधिकार होगा कि वह किसी सरकारी न्यायालय में शरणागत होकर किसी प्रकार की न्यायिक जांच की मांग करे।

23.3. किसी भी असामान्य परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की स्थिति में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान तथा अन्तरंग समिति को यह विशेष अधिकार होगा कि वह आम/चुनाव अधिवेशन तब तक स्थागित कर दें जब तक हालात सामान्य ना हो जाये।

इस गठित ट्रीब्यूनल को स्थानीय सभाओं, महावीर दलों, युवक सभाओं तथा अन्य सनातन धर्मी संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी आन्तरिक विरोधों को निपटानें का अधिकार तथा उन संस्थाओं के क्षेत्राधिकारों की सीमा सम्बन्धी और उन्हें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित करने के उपाय आदि करने का अधिकार होगा।

23. असाधारण स्थिति

23.1 प्रतिनिधि सभा के सभासदों के बीच पारस्परिक वैमनस्य, मनमुटाव तथा मानसिक तनाव और निरंतर तकरार एवं दुर्व्यवहार के कारण यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये कि उसके कार्य को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने में उसकी कार्यकारिणी तथा अंतरंग समिति दोनों ही अपने आपको असमर्थ एवं अक्षम समझने लगे तो **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा** के प्रधान महोदय को विशेष अधिकार होगा कि वह इस संबंध में **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के** मुख्य प्रधान से विचार–विमर्श द्वारा सहमति प्राप्त कर सभा के समस्त कार्य को अपने हाथ में ले लेवे, ताकि **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के** हितों तथा उद्देश्यों आदि को क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षित और उसकी गतिविधियों को हानिकारक विवादों से पृथक रख सकें।

23.2 इस प्रकार की असाधारण स्थिति के समय **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा** के समस्त पदाधिकारियों को कार्य निवृत्त तथा उसकी कार्यकारिणी तथा अंतरंग समिति को भंग कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा** के प्रधान महोदय ही **सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा** तथा उसके अधीनस्थ संस्थाओं की समस्त प्रकार की संपत्ति के उत्तराधिकारी अथवा एकमात्र उत्तरदायी समझे जायेंगे। और उनके कार्यों की व्यवस्था हेतु स्वयं आप अथवा किसी विशेष प्रशासक (जो आवश्यकतानुसार वैतनिक भी हो सकता है अथवा एक वैकल्पिक कमेटी की सहायता द्वारा उस समय तक कार्यरत रहेंगे जब तक कि श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब अपने कार्य को नियमित रूप से भली–भांति चलाने हेतु विधिवत् ढंग से अपनी अंतरंग समिति तथा कार्यकारिणी का पुनः निर्वाचन नहीं कर लेती।

नोट. ऐसी असाधारण स्थिति में प्रधान, वैतनिक प्रशासक अथवा वैकल्पिक कमेटी को अधिक से अधिक एक साल के भीतर संवैधानिक तरीके से सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग समिति,कार्यकारिणी का गठन करना अनिवार्य होगा।

/ शिक्षण–संस्थाओं को सम्बद्धता दे सकती है। इतना ही नहीं उचित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधि सभा भारत के बाहर **अन्य देशों में** भी धर्म सभाओं का गठन, एवं रख रखाव, धर्म प्रचार, मंदिर निर्माण एवं प्रबंधन, प्राचीन मंदिरों, धर्म–स्थलों एवं तीर्थों का जीर्णोद्धार आदि कार्य कर सकती है।

5 : कार्यालय

प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा। परम आवश्यक स्थिति में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा अपने साधारण अधिवेशन (General House Meeting) में मुख्य कार्यालय के स्थानान्तरण/स्थान परिवर्तन का फैसला ले सकती है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रचार के लिये **प्रतिनिधि सभा** दूसरे स्थानों एवम् प्रान्तों में भी प्रतिनिधि सभा के शाखा कार्यालय खोल सकती है।

6 प्रतिनिधि सभा का गठन धारा word to be deleted

सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाली एवं अपेक्षित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधि सभा से सम्बद्धता प्राप्त करने वाली अनेक सनातन धर्म सभाओं, सनातन धर्म शिक्षण संस्थाओं तथा सनातन धर्म महावीर दलों की प्रतिनिधि सभा है। श्री सनातन धर्म महावीर दल पंजाब तथा श्री सनातन धर्म शिक्षा समिति पंजाब इसकी दो अन्तरंग सहभागी संस्थाएं हैं। अतः सम्बद्ध सनातन धर्म सभाओं, महावीर दलों की इकाइयों और शिक्षा समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का गठन होगा। गठन की प्रक्रिया निम्नलिखित है –

6.1 वह सनातन धर्मी जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जो श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब (पंजीकृत) से सम्बन्धित किसी स्थानीय सनातन धर्म सभा का कम से कम एक वर्ष से सभासद् हो, तथा जिसने सम्बद्ध सनातन धर्म सभा का एक वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम सदस्यता शुल्क दे दिया हो,वह अपनी स्थानीय सभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत होकर प्रतिनिधि सभा में आने का अधिकारी होगा। **सनातन मूल्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क दे कर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का आजीवन सदस्य बन सकता है। आजीवन सदस्यता देने का अधिकार केवल कार्यकारिणी परिषद् (Working Committee) को होगा।**

6.2 प्रत्येक सम्मिलित सभा/शिक्षण संस्था/महावीर दल जिनका **सम्बन्धन** शुल्क प्रतिनिधि–सभा को प्राप्त हो चुका होगा, निम्नलिखित संख्या में अपने प्रतिनिधि, श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के **चुनाव** अधिवेशन तथा आम अधिवेशन में भेज सकते हैं।

(क) श्री सनातन धर्म सभा	5 सदस्य
(ख) श्री सनातन धर्म शिक्षण संस्था	5 सदस्य

(ग) महावीर दल 2 सदस्य

नोट :—**चुनाव अधिवेशन के समय** केवल वही संस्थाएं सम्बद्ध मानी जायेगी, **जिनसे** गत चुनाव अधिवेशन के बाद से कम से कम तीन बार **सम्बन्धन शुल्क प्राप्त हुआ हो** अथवा गत वर्षों में एक साल पूर्व वह सभा, प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो चुकी हो। **देय शुल्क के शेष होने की स्थिति में** उन संस्थाओं के प्रतिनिधि ही शेष शुल्क देकर चुनाव अधिवेशन में भाग ले सकेंगे।

6.3 प्रत्येक सम्मिलित सभा, शिक्षण संस्था, महावीर दल को अपने प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों का **निर्णय** इतने दिन पहले करना आवश्यक है कि उसकी सूचना प्रतिनिधि सभा के **मुख्य** कार्यालय में उसके चुनाव अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाए। इससे कम समय में सूचना मिलने पर प्रतिनिधि सभा के लिये यह आवश्यक न होगा कि उनको विचारणीय विषयों की सूची या बैठक की सूचना भेजे।

6.4 प्रतिनिधि सभा को अधिकार होगा कि वह अपने कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत तक ऐसे सदस्य प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित कर सकती है जो किसी स्थानीय सभा द्वारा न चुने गये हों पर जिनका प्रतिनिधि सभा में होना आवश्यक हो। ऐसे सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। ऐसे सदस्यों **को कार्यकारिणी परिषद्** ही मनोनीत करेगी।

6.5 उपरोक्त सब प्रकार से चुने हुए और मनोनीत सदस्य प्रतिनिधि सभा के पाँच वर्ष के लिए सभासद् होंगे।

6.6 **चुनाव अधिवेशन में** कम से कम 30 सभाओं, शिक्षण संस्थाओं, महावीर दलों के द्वारा **मनोनीत** प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने पर **ही** प्रतिनिधि सभा का चुनाव होगा। पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात होगा अर्थात पदाधिकारी पांच वर्ष के लिए चुने जाएंगे।

नोट . श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के पंजीकरण नियमों के अनुसार सभा के वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारियो के ईलावा कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की चल या अचल सम्पति से आर्थिक लाभ कमा रहा हो वह सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकता।

7. अधिवेशन

7.1 (i) प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन, **कार्यकारिणी परिषद्** द्वारा निर्धारित

सभासदों के निरीक्षण हेतु रख दिया जायेगा।

21.7 सभा स्थल के प्रवेश द्वार पर सभी सभासदों को अपनी उपस्थिति पूर्ण ब्यौरे सहित दर्ज करवानी होगी।

21.8 चुनाव अधिवेशन में चुनाव एजेण्डा से पहले सभी सभासद मुख्य चुनाव अधिकारी तथा एक अथवा दो उपचुनाव अधिकारी को मनोनीत करेंगे।

21.9 मुख्य चुनाव अधिकारी निम्न पदों के लिए नामों का सुझाव व उनके अनुमोदन की अपील करेंगे।

(i) जरनल प्रधान

(ii) प्रधान

(iii) कार्यवाहक प्रधान

(vi) महामन्त्री

(v) अर्थमन्त्री

21.10 अगर चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हो पाते तो आवश्यकता होने पर इन पदों के लिये मत का प्रयोग भी किया जा सकता है।

21.11 इन पदों के इलावा अन्य पदों, समिति, कार्यकारिणी तथा उप समितियों को बनाने का अधिकार अगर सभासद चाहें तो निर्वाचित प्रधान अथवा उनके साथ अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों को सौंप सकते हैं।

22. अनुशासनात्मक कार्यवाही

22.1 **प्रतिनिधि** सभा **की अन्तरंग समिति** को अधिकार होगा कि वह किसी भी संरक्षक, पदाधिकारी अथवा सदस्य को जिसके विचार, व्यवहार और धार्मिक रीति—नीति श्री <u>सनातन धर्म</u> प्रतिनिधि सभा के सिद्धान्तों, नियमों और निश्चित नीति के प्रतिकूल हों, उसको उसके पद से संवैधानिक रूप से मुक्त कर सकती है।

22.2 साधारण अधिवेशन का कोई ऐसा सज्जन सभासद नहीं हो सकता जो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा से संबन्धित किसी ऐसी सभा का सभासद हो जो सम्मिलित **सभा**/संस्था के अनुशासन के विरूद्ध स्थापित की गई हो।

22.3 जो सदस्य समिति, कार्यकारिणी या उपसमितियों की पचास प्रतिशत बैठकों में उपस्थित न होंगे उनको इन कमेटियों से मुक्त करके नये सभासद नियुक्त कर दिये जाएंगे।

22.4 सभा के साधारण चुनाव अधिवेशन में सात सभासदों का एक ट्रीब्यूनल बनाया जाएगा।

सभा को जमा कराई जायेगी और वह इसे धर्म प्रचार, शिक्षा के प्रसार तथा मन्दिरों के उद्धार हेतु ही व्यय करेगी।

20. चुनाव अधिवेशन

चुनाव के कम से कम दो माह पूर्व इसके सभापति पद के चुनाव हेतु प्रतिनिधि सभा की समिति सम्बन्धित सभाओं तथा अन्य संस्थाओं से एक घोषणा पत्र द्वारा सुझाव मंगवायेगी और इस संबंध में मिली जानकारी के अंतर्गत अधिक से अधिक सहमति प्राप्त महानुभाव को इस वरिष्ठ स्थान के लिए चुन लिया जायेगा तथा अधिवेशन की निर्धारित तिथि के कम से कम एक मास पूर्व तक उसकी घोषणा कर दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में प्रतिनिधि सभा की समिति को भी अधिकार होगा कि वह स्वयं ही **चुनाव** सम्मेलन के सभापति को मनोनीत कर लें।

21. चुनाव अधिवेशन की प्रक्रिया

21.1 प्रतिनिधि सभा का चुनाव पांच वर्ष के उपरान्त होगा।

21.2 चुनाव प्रक्रिया में प्रतिनिधि सभा से सम्मिलित सनातन धर्म सभा, शिक्षण **संस्था, श्री सनातन धर्म महावीर दल जिनका सम्मिलित शुल्क प्रतिनिधि सभा को प्राप्त हो चुका हो और जो कम से कम चुनाव से एक वर्ष पूर्व प्रतिनिधि सभा से सम्मिलित हो चुके हो निम्न संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनाव अधिवेशन में भेज सकते हैं।**

(i) सनातन धर्म सभा	5 सदस्य
(ii) सनातन धर्म शिक्षण संस्था	5 सदस्य
(iii) महावीर दल	2 सदस्य

21.3 इसके अतिरिक्त 21 ऐसे सदस्यों को प्रतिनिधि सभा के प्रधान मनोनीत कर सकते हैं, जिनका प्रतिनिधि सभा को विशेष योगदान रहा हो या उनकी उपस्थिति प्रतिनिधि सभा के लिए अनिवार्य हो।

21.4 प्रत्येक सम्मिलित सभाओं, शिक्षण संस्थाओं, महावीर दलों तथा मनोनीत सदस्यों की सूची मुख्य कार्यालय में चुनाव से एक माह पूर्व अवश्य पहुँच जानी चाहिये ताकि चुनाव अधिवेशन का परिचय पत्र, स्थान, तिथि तथा समय की सूचना सभासदों को समय पर दी जा सके।

21.5 चुनाव अधिवेशन स्थल पर सभासदों को सभागार में प्रवेश, रसीद (प्रवेश हेतु शुल्क के प्राप्तिपत्र) तथा परिचय पत्र दिखाने पर ही सम्भव होगी।

21.6 चुनाव अधिवेशन में चुनाव प्रक्रिया से एक घण्टा पूर्व सभा स्थल पर पिछले पाँच वर्षों का आय व्यय का ब्यौरा तथा समय–समय में हुई सभी बैठकों का ब्यौरा

समय और स्थान पर प्रतिवर्ष अवश्य होगा।

(ii) आवश्यकता होने पर **साधारण** अधिवेशन एक से अधिक बार भी बुलाया जा सकता है।

(iii) सभापति के आवश्यक समझने पर अथवा किन्हीं 20 सम्मिलित संस्थाओं के लिखकर आवश्यकता प्रकट करने पर भी साधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

7.2 साधारण अधिवेशन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व सभासदों को **भेज** देनी होगी। सूचना के साथ विचारणीय विषयों की सूची भेजी जायेगी।

7.3 साधारण **अधिवेशन** का कोरम 21 का होगा यदि कोरम पूरा न हो तो अधिवेशन कम से कम 15 दिन के लिये स्थगित किया जायेगा और स्थगित अधिवेशन के लिए कोई कोरम आवश्यक न होगा। परन्तु ऐसे अधिवेशन में कोई नई बात जो पहले एजेण्डा में न हो प्रस्तुत न हो सकेगी।

7.4 विवादास्पद विषयों का निर्णय बहुमत से होगा।

7.5 साधारण अधिवेशन के लिए विचारणीय विषयों की सूची (एजेण्डा) कार्यकारिणी तैयार करेगी। ऐसी सूची में सम्मिलित सभाओं से अधिवेशन की तिथि से 20 दिन पहले तक प्राप्त हुए सब प्रस्ताव तथा प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त अधिवेशन से 24 घण्टे पहले यदि दस सभाओं के प्रतिनिधि किसी निश्चित विषय पर हस्ताक्षर करके महामन्त्री को दे दें तो उस पर भी प्रधान की आज्ञा से विचार किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तावों सम्बन्धी इन प्रश्नों के अतिरिक्त और कोई बाहर से प्रश्न नहीं कर सकेगा।

8. साधारण अधिवेशन के कर्त्तव्य

8.1 निरीक्षण **(Audit)** किये हुए गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा (विवरण) स्वीकृत करना और प्रकाशित करना।

8.2 प्रतिनिधि सभा के नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना।

8.3 **अन्तरंग** समिति तथा **कार्यकारिणी परिषद्** के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।

8.4 पदाधिकारियों, अन्तरंग समिति तथा कार्यकारिणी परिषद् का निर्वाचन करना।

9. अन्तरंग समिति (Executive Committee)

9.1 **अन्तरंग समिति के कुल सदस्यो की संख्या 101 होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार विशेष आमन्त्रित सदस्य मनोनीत किये जा सकते है।**

9.2 **चुनाव** अधिवेशन में प्रत्येक जिले के प्रतिनिधि अपने जिले की ओर से एक सदस्य अन्तरंग समिति के लिये चुनेंगे और जिन जिलों से कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होगा इनके स्थान पर साधारण अधिवेशन के सभासद उनको निर्वाचित करेंगे।

9.3 यदि **चुनाव अधिवेशन के सभासद् निर्वाचित** प्रधान को अधिकार प्रदान करें तो वे **अन्तरंग समिति, कार्यकारिणी परिषद्, उपसमितियों के** सदस्यों को स्वयं मनोनीत कर सकेंगे।

9.4 उपरोक्त प्रतिनिधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित संस्थाओं और स्थानों से भी समिति के लिये सदस्य **मनोनीत** किये जाएंगे – **(उस जिले से जिसमें प्रतिनिधि सभा)**

Delete

मुख्य कार्यालय	3
(हरिद्वार तथा चण्डीगढ़) Delete	
सनातन धर्म के साधु सम्प्रदाय	2
विद्वत्परिषद्	2
उपदेशक मंडल	1
प्रत्येक उपकार्यालय से	1
विदेश	2
सभा के आजीवन सदस्यों में से	1

हर प्रकार से चुने हुये सदस्यों के अतिरिक्त यदि ऐसे सज्जन हों जो चुनाव में न आ सके हों पर जिनको अन्तरंग समिति का सदस्य बनाना आवश्यक हो तो साधारण अधिवेशन को अधिकार होगा कि 11 की संख्या तक ऐसे सदस्य समिति के लिये और चुन लें। इसके अतिरिक्त समिति को दस और सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

(i) जो पदाधिकारी प्रतिनिधि सभा अपने साधारण अधिवेशन में चुनेगी वे पदाधिकार से अन्तरंग समिति के सदस्य होंगे।

(Clause is repetitive, hence to be deleted)

(ii) समिति की बैठक का कोरम 11 का होगा।

यदि बैठक में समिति का कोरम पूरा न हो तो समिति की बैठक कम से कम दो घण्टे के लिये स्थगित की जायेगी, स्थगित बैठक के लिये कोई कोरम आवश्यक न होगा।

(iii) समिति की बैठकें प्रायः मुख्य कार्यालय में हुआ करेंगी परन्तु आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं। साधारण रूप में अन्तरंग समिति **की बैठक छः मास** में एक बार अवश्य हुआ करेगी परन्तु आवश्यकतानुसार अध्यक्ष जब चाहें यह बैठक बुला सकते हैं। अथवा 11 सदस्यों के हस्ताक्षर से पत्र आने पर एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

(vii) अधिवेशन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करना तथा तत्संबंधी सारा खर्च करना।

नोट :– इस खर्च में प्रतिनिधि सभा के उन सभी उपदेशकों तथा पदाधिकारियों का सारा खर्च भी सम्मिलित होगा जो सम्मेलन के संबंध में प्रचार आदि के कार्य के लिए आमंत्रित किये गये हों।

19. सम्मेलन की आयोजन समिति

19.1 किसी निश्चित स्थान पर होने वाले प्रान्तीय सम्मेलन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु अधिवेशन की निर्धारित तिथि से कम से कम 6 माह पूर्व एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। जिसके सदस्य उस स्थान से संबंधित सनातन धर्मी सज्जन ही बनाये जायेंगे। इस **आयोजन** समिति के निम्नलिखित **पदाधिकारी** होंगे।

(i) **आयोजन** समिति अध्यक्ष

(ii) दो या अधिक उप–प्रधान

(iii) दो या अधिक मन्त्री

(iv) भिन्न–भिन्न कार्यों के लिए दो या अधिक संयुक्त मंत्री

(v) कोषाध्यक्ष

(vi) स्मारिका समिति संयोजक एवं सदस्य

19.2 आयोजन समिति अपने सभासदों में से एक कार्यकारिणी भी चुनेगी जिसमें उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त 9 और सदस्य होंगे।

19.3 यदि प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय की आज्ञा से उनका कोई पदाधिकारी स्वागत समिति की सहायतार्थ भेजा गया तो वह पदाधिकारी भी स्वागत समिति की कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा।

19.4 **इस अवसर पर किसी विशेष प्रयोजन के लिये की गयी अपील पर एकत्रित सभी धनराशि प्रतिनिधि सभा द्वारा केवल उस विषय से संबंधित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। जिसके लिए अपील की गयी हो।** (इसी प्रकार सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त शुल्क भी प्रतिनिधि सभा का ही होगा। आयोजन समिति का केवल उस धनराशि पर अधिकार होगा जो उसके सदस्यों अथवा स्थानीय लोगों से प्राप्त की गयी हो और वह इसका उपयोग सम्मेलन के कार्यों के खर्च के लिए करेगी।) **To be deleted**

19.5 **धार्मिक तथा शैक्षणिक सम्मेलनों के अवसरों पर आयोजन समिति द्वारा एकत्र की गयी समस्त राशि में से सम्मेलन संबंधी खर्च निकालकर सारी बचत प्रतिनिधि**

(v) हरिद्वार सम्बन्धी

(vi) मुख्य कार्यालय सम्बन्धी

(vii) चण्डीगढ़ गोस्वामी गणेशदत्त भवन तथा मन्दिर प्रबन्धन

(viii) शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु समितियां

17.2 निम्नलिखित संस्थायें प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बन्ध रखेगी और उसके द्वारा संचालित की जायेंगी।

(i) श्री सनातन धर्म महावीर दल पंजाब (पंजीकृत)

(ii) श्री सनातन धर्म शिक्षा समिति (पंजीकृत)

18. प्रांतीय सम्मेलन

18.1 देश तथा समय की स्थिति को सम्मुख रखते हुए प्रतिनिधि सभा आवश्यकतानुसार दो वर्ष में एक प्रान्तीय सम्मेलन का भी आयोजन करेंगी। सम्मेलन का स्थान और तिथियां प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग समिति द्वारा ही तय किए जायेगें।

18.2 यदि किसी कारणवश इस निश्चित स्थान पर अधिवेशन न हो सके तो दूसरे स्थान का निश्चय भी समिति ही अधिवेशन से कम से कम तीन मास पूर्व करेगी।

18.3 किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए यदि 20 अथवा उससे अधिक सम्मिलित सभाएं लिखित रूप से इच्छा प्रकट करें तो केवल उसी विषय पर विचार करने हेतु भी समिति को प्रान्तीय सम्मेलन के साधारण अधिवेशन को अथवा उसके लिए स्थान एवं समय निश्चित करने का अधिकार होगा।

18.4 प्रान्तीय सम्मेलन के अधिवेशन के संबंध में उसके प्रबंध कार्य की सारी जिम्मेदारी स्थानीय आयोजन समिति पर होगी अर्थात्

(i) अधिवेशन के लिए मंडप आदि की व्यवस्था।

(ii) सम्मेलन की विषय निर्धारणीय समिति की बैठकों के लिए उचित स्थान आदि का प्रबंध।

(iii) सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों के ठहरने एवं खान–पान की व्यवस्था।

(vi) समाचार पत्र आदि को सम्मेलन संबंधी सभी सूचनाएं भेजने का उचित प्रबंध।

(v) सम्मेलन संबंधी प्रचार का उचित प्रबंध।

(vi) सम्मेलन की विषय निर्धारिणी समिति के संगठन मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री के पारस्परिक सहयोग द्वारा सम्मेलन का **कार्यक्रम** निश्चित करना और उसे छपवा कर प्रकाशित करना।

(iv) समिति की बैठक बुलाने के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले और साधारण बैठक के लिए कम से कम **15** दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होगी।

(v) विवादास्पद विषयों का निर्णय बहुमत से होगा।

(vi) जो सदस्य अकारण निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे समिति को अधिकार होगा कि संविधान के अनुसार सदस्यता खत्म करके दूसरे सदस्य को मनोनीत कर ले।

जिस स्थान पर समिति की बैठक होगी वहां की स्थानीय सभा को समिति की बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के ठहरने तथा भोजनादि का प्रबन्ध करना होगा।

10. <u>अन्तरंग</u> समिति (Executive Committee) के अधिकार और कर्त्तव्य

10.1 प्रतिनिधि सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित प्रबन्ध करना, अपनी वार्षिक बैठक में आय व्यय का ब्यौरा पेश करना।

10.2 प्रतिनिधि सभा के साधारण काम चलाने के निमित एक कार्यकारिणी समिति **(Working Committee)** का निर्वाचन करना और विशेष कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए उपसमितियों का चयन करना और उनके कर्त्तव्य तथा अधिकार नियत करना।

10.3 प्रतिनिधि सभा की सम्पत्ति और कोष का उन नियमों के अनुसार जो आगे लिखे गये हैं उचित प्रबन्ध करना और उसकी वृद्धि के लिये यत्न करना।

10.4 प्रतिनिधि सभा के वैतनिक तथा अन्य कार्य–कर्त्ताओं के लिये आवश्यक नियम बनाना और उनकी नियुक्ति, वेतन वृद्धि तथा सेवामुक्ति के विषय में कार्यकारिणी के निर्णयों को पास करना।

10.5 प्रतिनिधि सभा के उद्देश्यों आदि को दृष्टि में रख कर उपनियम बनाना।

10.6 उपसमितियों द्वारा निर्धारित विषयों पर विचार **करके निर्णय लेना तथा उनका अनुमोदन** करना। उपसमितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन करना।

10.7 मृत्यु होने, त्याग पत्र देने, पागल हो जाने की अवस्था में समिति पदाधिकारियों में या सभासदों में परिवर्तन कर सकती है।

10.8 प्रतिनिधि सभा के साधारण अधिवेशन की तिथियाँ निश्चित करना।

10.9 **निरीक्षण** (Audit) किये हुये वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा (विवरण) प्रतिनिधि सभा **के साधारण अधिवेशन** में स्वीकृति के लिए रखना। नये वर्ष के अनुमानित आय व्यय (बजट) को तैयार करना।

10.10 **अनुमोदित** आय व्यय विवरण के अनुसार तथा अवश्यकतानुसार, प्रतिनिधि सभा **के अध्यक्ष** से आज्ञा लेकर धन व्यय करना, प्रतिनिधि सभा की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर पूर्णाधिकार रखना, उसको सद्व्यवहार में लाना और सर्वथा सुरक्षित रखना। किसी भी प्रान्त में सरकार द्वारा किसी अनुदान या क्षतिपूर्ति राशि

(compensation) मिलने पर सुनिश्चित करना कि उसका अधिकांश भाग उस प्रदेश की संस्थाओं / सभाओं के हित में ही लगाया जाये।

10.11 अपनी सुविधा के लिये उचित स्थानों पर शाखा कार्यालय खोलना।

10.12 यदि साधारण सभा आगामी प्रांतीय सम्मेलन के स्थान का निर्णय किसी कारण से न कर सके तो उसके लिए स्थान का निर्णय और प्रबन्ध करना तथा कार्यकारिणी समिति के कार्य विवरण को स्वीकार अथवा उसमें संशोधन करना।

10.13 समिति की बैठकों में सूची में दिये हुए विचारणीय विषयों पर ही विचार होगा। परन्तु आवश्यकतानुसार उन विषयों पर भी विचार हो सकेगा, जिनकी अनुमति प्रतिनिधि सभा के प्रधान बैठक में दें।

Shifted from 16 (S.No to be changed from 16 to 11)

11. अन्तरंग समिति के साधारण अधिकार

11.1 समिति को अधिकार होगा कि वह अपने वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं के लिए सेवा नियम तथा प्रोवीडेण्ट फण्ड के नियम बनाये परन्तु ऐसे नियमों के लिए साधारण अधिवेशन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

11.2 बैंक से रूपया निकलवाने, जमा कराने तथा आय व्यय के नियम, समिति समय–समय पर बनाती रहेगी।

11.3 समिति को आवश्यकतानुसार भाड़े पर दफ्तर / मकान लेने देने और संस्थाओं का संचालन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने, शेयर और सम्पति खरीदने तथा बेचने का अधिकार होगा।

11.4 आय व्यय का हिसाब किस प्रकार रखा जाये। इसके लिए भी समिति समय–समय पर नियम बना सकती है।

11.5 प्रतिनिधि सभा के कार्य को चलाने के लिए समिति को अधिकार होगा कि वह हर प्रकार के नियम और उपनियम साधारण अधिवेशन की स्वीकृति से बनाये परन्तु ऐसे नियम नियमावली के प्रतिकूल न हो।

12 कार्यकारिणी परिषद् (Working Committee)

12.1 इसके सदस्यों की संख्या 31 होगी। इनमें से अध्यक्ष, महामन्त्री तथा कोषाध्यक्ष पदाधिकारी होने के नाते इसके सदस्य तथा पदाधिकारी होंगे। अन्य सदस्य अन्तरंग समिति के सदस्यों में से चुने जायेंगे।

इनमें एक सदस्य प्रतिनिधि सभा के आजीवन सदस्यों में से भी होगा।

12.2 कार्यकारिणी का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

12.3 कार्यकारिणी वे कार्य करेगी जिन्हें करने की प्रतिनिधि सभा **के अध्यक्ष** अथवा **अन्तरंग** समिति इसे आज्ञा प्रदान करेगी।

(iii)	सनातन धर्म **महाविद्यालय**	1000 / –
(iv)	**कालेज सोसाइटी**	1100 / –
(v)	सनातन धर्म उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	500 / –
(vi)	विदेशों की सनातन धर्म संस्थाएं	11000 / –

15.3 सम्मिलित होते समय 2100 / – रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

15.4 प्रतिनिधि सभा को अधिकार होगा कि उपरोक्त सम्मिलित शुल्क में परिवर्तन कर सके।

15.5 सम्मिलित होने के लिए समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

16. सम्मिलित सभाओं के कर्त्तव्य

16.1 स्थानीय स्तर पर सभाएं सनातन धर्म के प्रचार–प्रसार सम्बन्धित कार्य करेंगी।

(To be deleted)

16.2 किसी विद्वान या भजनीक पर लगाई हुई पाबंदी को हटाने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा।

16.3 सनातन धर्म संस्थाओं और सभाओं का कर्त्तव्य है कि वे प्राचारार्थ अथवा सभा सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए प्रतिनिधि सभा द्वारा भेजे हुए कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार दूसरी श्रेणी का मार्ग व्यय और भेंटा इत्यादि अवश्य दें।

16.4 सम्मिलित संस्थाओं और सभाओं को अपने वार्षिकोत्सव पर धर्म–प्रचार के लिए प्रतिनिधि सभा को यथाशक्ति दान देना आवश्यक है।

16.5 सम्मिलित संस्थाओं के अतिरिक्त असम्मिलित संस्थाएं भी प्रतिनिधि सभा से उपदेशक व भजनीक आदि मांग सकती है।

16.6 असम्मिलित संस्थाएं यदि प्रचारक मंगवायें तो उनको धर्म प्रचार के लिए मार्ग व्यय के अतिरिक्त पूर्व में निर्धारित धनराशि देनी होगी।

16 to 16.5 Shifted to point no 11 to 11.5

17. उप–समितियाँ

17.1 समिति कार्य संचालन के लिये निम्नलिखित तथा आवश्यकता पड़ने पर इनके अतिरिक्त उप–समितियाँ बनाएगी :–

(i) विद्वत् परिषद्

(ii) मन्दिर प्रबन्धन

(iii) अन्त्यज्योद्धार

(iv) गो रक्षा (गऊशाला)

14.7 कार्यालय मन्त्री

(i) प्रधान, कार्यवाहक प्रधान,महामन्त्री एवं अर्थमन्त्री द्वारा सोंपा गया कार्य करना तथा कार्यालय को सुचारू रूप से चलाना।

(ii) कार्यालय के रिकार्ड को सुव्यवस्थित रखना।

(iii) अन्तरंग समिति, कार्यकारिणी परिषद्, प्रधान, महामन्त्री तथा अर्थ मंत्री की आज्ञा के बिना एक समय में **5000/–** रूपये तक खर्च करना।

14.8 सहायक कार्यालय–मन्त्री

कार्यालय मन्त्री के कार्य में सहयोग करना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वाह करना।

14.9 मन्त्री

महामन्त्री की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यालय का मन्त्री उसके स्थान पर कार्य करेगा तथा महामन्त्री के समस्त अधिकारों को प्रयोग में ले कर अन्य अवस्थाओं में उनकी सहायता करेगा।

अन्य क्षेत्रों के **मन्त्री, प्रतिनिधि सभा के प्रधान के** निर्देशों को कार्यान्वित करने में महामन्त्री/महामन्त्रियों का सहयोग करेंगे।

14.10 निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक

प्रतिनिधि सभा तथा इसके द्वारा संचालित संस्थाओं के सारे आय, व्यय और हिसाब का निरीक्षण करना और प्रतिनिधि सभा को इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करना।

15. प्रतिनिधि सभा के सम्बद्धता तथा सम्मिलित शुल्क

15.1 **देश/विदेश** की समस्त सनातन धर्म सभाएं, सनातन धर्म युवक सभाएं, सनातन धर्म महावीरदल, **सनातन धर्म शिक्षा समितियां** तथा अन्य संस्थाएं जो पूर्ण रूप से सनातन धर्मी सिद्धान्तों के अनुकूल हों, प्रतिनिधि सभा के साथ सम्मिलित हो सकती हैं।

15.2 सम्मिलित होते समय उनको इस भाव का एक प्रार्थना पत्र प्रतिनिधि सभा में भेजना होगा और निम्नलिखित वार्षिक सम्मिलित शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा।

नाम सभा	वार्षिक सम्मिलित शुल्क
(i) नागरिक सनातन धर्म सभाएं	1000/–
(ii) नागरिक सनातन धर्म युवक सभाएं	500/–

12.4 इसकी **बैठक** का कोरम दस सदस्यों का होगा।

नोट. यदि कोरम पूरा न हो तो कार्यकारिणी की बैठक कम से कम एक घण्टे के लिए स्थगित की जायेगी और स्थगित बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक न होगा।

12.5 इसकी बैठक सामान्यतया छः मास में एक बार अवश्य होगी परन्तु आवश्यकतानुसार प्रधान जी जब उचित समझे अथवा जब पांच सदस्य लिखित रूप में अपनी इच्छा प्रकट करें तो कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

12.6 बैठक की सूचना तथा विचारणीय विषयों की सूची सामान्यता सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेज दी जायेगी।

12.7 कार्यकारिणी की बैठकों में आवश्यकतानुसार किसी उपसमिति के प्रधान, मन्त्री अथवा किसी सदस्य को जो कार्यकारिणी का सदस्य न हो आमन्त्रित किया जा सकता है। परन्तु उनको मतदान (वोट) देने का अधिकार न होगा।

12.8 परमावश्यक कार्य उपस्थित होने पर महामन्त्री 24 घण्टे की सूचना देकर कार्यकारिणी की बैठक बुला सकता है।

12.9 कार्यकारिणी में कार्य अधिक होने पर उस दिन बैठक स्थगित कर दूसरे दिन उसी कार्य के लिए बैठक पुनः आरम्भ की जा सकती है।

13. पदाधिकारी (और उनके कर्त्तव्य) to be deleted

प्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

(क) संरक्षकः **प्रतिष्ठित** साधु महात्मा तथा समाज के माननीय व्यक्ति **हो सकते हैं,** जिनको प्रतिनिधि सभा **के अध्यक्ष** मनोनीत करेगे।

(ख) मुख्य प्रधान	1
(ग) प्रधान	1
(घ) कार्यवाहक प्रधान	1 **या अधिक**
(ङ) उप–प्रधान प्रत्येक प्रान्त में से एक या अधिक	
(च) महामन्त्री	3 (अधिक से अधिक)
(छ) अर्थमन्त्री	1
(ज) मन्त्री जहां तक सम्भव हो	प्रत्येक प्रान्त से एक **या अधिक**
(झ) संयुक्त मन्त्री	प्रत्येक प्रांत से एक **या अधिक**

(ञ) कार्यालय मन्त्री 1 **या अधिक** (जो आवश्यकतानुसार वैतनिक भी हो सकता है)

(ट) सहायक कार्यालय मन्त्री– 1 (अगर आवश्यकता हो तो, जो आवश्यकतानुसार वैतनिक भी हो सकता है)

(ठ) निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक – यदि आवश्यकता हो तो निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक

मनोनीत किये जा सकते हैं किन्तु वे पदाधिकारी नहीं होंगे।

(ढ) प्रचार मन्त्री – 1 (प्रत्येक प्रान्त में एक)

(ड़) संगठन मन्त्री – 1 या अधिक

प्रधान तथा महामन्त्री जितनी उपसमितियाँ होंगी, उनके संयोजकों को मनोनीत करेंगे और हर एक संयोजक उस उपसमिति का अध्यक्ष होगा।

नोट . प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की सख्या में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

14 पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा अधिकार

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य व अधिकार होंगे –

पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा अधिकार (To be deleted)

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य व अधिकार होंगे – (To be deleted)

14.1 मुख्य प्रधान

प्रतिनिधि सभा की उन्नति तथा उनके कार्यों को नियमित तथा उचित रूप से चलाने हेतु समुचित साधनों का प्रयोग करना।

14.2 प्रधान

(i) प्रतिनिधि सभा की सब प्रकार की बैठकों में सभापति के पद का ग्रहण करना।

(ii) प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करना।

(iii) पदाधिकारियों को उनके कर्त्तव्य के पालन करने में मार्गदर्शन व सहायता देना।

(iv) प्रतिनिधि सभा के हेतु धन एकत्रित करना और करवाना।

(v) प्रतिनिधि सभा की **प्रगति** हेतु उपाय सोचना तथा कार्यान्वित करवाना।

(vi) आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी की आज्ञा बिना 25,000/– तक व्यय कर सकना।

(vii) हर प्रकार की आय व्यय की जांच व सम्पुष्टि करना और समिति की स्वीकृति लेना।

(viii) यदि किसी विशेष अवसर पर कार्यकारिणी की बैठक न भी हो सके तो आवश्यक कार्यों को करने की आज्ञा देना और जितना शीघ्र हो सके कार्यकारिणी द्वारा उसकी स्वीकृति लेना।

(ix) आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों की संख्या में बदलाव करना।

14.3 कार्यवाहक प्रधान

(i) प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रधान को वही अधिकार होंगे जो प्रधान को हैं। प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्यों पर नियन्त्रण रखना और उसकी जिम्मेदारी लेना

(ii) महामन्त्री की सिफारिशों से अस्थाई रूप से उपदेशक, भजनीक या अन्य कर्मचारी रखने का अधिकार।

(iii) बिलों का निरीक्षण।

(iv) कार्यकर्ताओं **तथा सहायकों की नियुक्ति तथा** अवकाश आदि की स्वीकृति देना।

14.4 उप–प्रधान

(i) अपने प्रदेश/क्षेत्र में सनातन धर्म सभाओं का संगठन करना। **प्रतिनिधि सभा के साथ सम्मिलित सभाओं के सम्बन्धन की कार्यवाही को नियमानुसार पूर्ण करना।**

(ii) अपने–अपने क्षेत्रों में **स्थानीय सभाओं / शिक्षण संस्थाओं / महावीर दलों के माध्यम** से वार्षिक उत्सवों को धूमधाम से मनाना।

(iii) शिक्षण संस्थाओं आदि की स्थापना करना।

(iv) प्रतिनिधि सभा की आर्थिक अवस्था को सम्पन्न करना

14.5 महामन्त्री

(i) साधारण सभा, अन्तरंग समिति, कार्यकारिणी और **अध्यक्ष** के निर्देशों और प्रस्तावों के अनुसार सभा के कार्य को चलाना।

(ii) **मुख्य** कार्यालय तथा **उपकार्यालयों** का सुचारू रूप से संचालन।

(iii) प्रतिनिधि सभा के प्रधान, कार्यवाहक प्रधान व उपप्रधान के काम में सहयोग करना तथा इनके अतिरिक्त सभी कार्यकर्त्ताओं के कार्यों की देखभाल करना।

(iv) **सम्बद्ध** सभाओं में प्रचार का उचित प्रबन्ध करना।

(v) सभा के उद्देश्यों की पूर्ति और कार्य को चलाने के लिये हर प्रकार का प्रबन्ध करना।

(vi) सभा के संचालन तथा आर्थिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना।

(vii) समिति तथा प्रधान की आज्ञा बिना एक समय में 10000/– रूपये तक व्यय करना।

14.6 अर्थमन्त्री

बिलों की पड़ताल करके स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यालय भेजना तथा आय व व्यय का सारा हिसाब रखना।